राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.18(31)नविवि / HFA–2022 / 2015 जयपुर, दिनांकः 4 OCT 2017

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.06.2016 के अनुसार, ''नगरीय क्षेत्रों मे भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 प्रचलित है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90–ए की उप धारा (5)ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के समस्त नगरीय क्षेत्रों के मास्टर प्लान / मास्टर डवलपमेंट प्लान में आवासीय भू–उपयोग क्षेत्र में मुख्यमंत्री जन आवास योजना, 2015 के तहत कृषि भूमि का आवासीय योजना विकसित करने हेतु राज्य सरकार एतद द्वारा स्वीकृती प्रदान करती है। ऐसे प्रकरणों में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–क के तहत नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि का गैर कृषिक आवासीय उपयोग हेतु अनुज्ञा / आवंटन की आवश्यकता नही होगी।'' का उल्लेख है।

उपरोक्त अधिसूचना में यह स्पष्ट किया जाता है कि ''ऐसे प्रकरणों में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–क के तहत नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि का गैर कृषिक आवासीय उपयोग हेतु अनुज्ञा / आवंटन की आवश्यकता नही होने का तात्पर्य अनुज्ञा / आवंटन की निंधारित प्रकिया की आवश्यकता नही होने से है।'' अर्थात ऐसी कृषि भूमि जिसका मास्टर प्लान में प्रस्तावित उपयोग आवासीय हेतु निर्धारित है में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत योजना प्रस्तावित किये जाने की स्थिति में विकासकर्ता द्वारा धारा 90–ए के अन्तर्गत यह अंकित करते हुए कि वह मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान–2 / प्रावधान–3A / प्रावधान–3B के अन्तर्गत योजना विकसित करने हेतु नियमानुसार संबधित नगरीय निकाय में आवेदन प्रस्तुत करता है तो निकाय द्वारा ऐसे प्रकरणों में निर्धारित प्रक्रिया में लगने वाले समय की अधिकता को देखते हुए निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण किये बगैर सीधे ही आवेदक से भूमि अवाप्ति में न होने, कोर्ट स्टे न होने, भूमि का टाईटल निंविवादित होने, भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं होने बाबत शपथ पत्र (Undertaking) लेते हुये तथा उक्त Undertaking के आधार पर धारा 90–ए का आदेश जारी किया जावेगा एवं भूमि संबंधित निकाय के नाम दर्ज की जाकर एकल पट्टा (Flatted) अथवा ले–आउट प्लान (Plotted) अनुमोदित कर जारी किया जावेगा। अनुमोदन पश्चात यदि उक्त शपथ पत्र (Undertaking) में अंकित तथ्यों को गलत पाये जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा जमा कराई गई राशि जप्त कर ली जावेगी एवं अनुमोदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। यदि पूर्व में किसी प्रकरण में भवन मानचित्र / ले–आउट प्लान, नगरीय निकाय / एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है तो ऐसे प्रकरणों में भी उपरोक्तानुसार धारा 90ए के तहत आदेश जारी किया जावे।

५/१५/१७

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम